web: www.nyaysakshi.com || पृष्ठ-2 में पढ़ें संपादकीय-खेल-व्यापार-धर्म-खाना खजाना-राशिफल || पृष्ठ-3 में पढ़ें छत्तीसगढ़-प्रादेशिक

दैनिक न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, रविवार 30 मई 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 239

पाकिस्तान समेत कई देशों के शरणार्थियों को मिलेगी नागरिकता, केंद्र सरकार ने मांगे आवेदन

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने शरणार्थियों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र ने देश के 13 जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का फैसला किया है। इसके लिए इन लोगों से आवेदन मंगाए गए हैं।

ये शरणार्थी गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हैं। इनका धर्म हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध इत्यादि है। इनसे शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना जारी की। हालांकि, सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है। वर्ष 2019 में जब सीएए लागू हुआ तो देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ और इन्हीं विरोध प्रदर्शनों के बीच 2020 की शुरुआत में दिल्ली में दंगे हुए थे। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के मुताबिक, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दमन के शिकार ऐसे अल्पसंख्यकों गैर-मुस्लमों को नागरिकता प्रदान की जाएगी, जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गए थे।

❒ **क्या है अधिसूचना में आदेश-** गृह मंत्रालय की अधिसूचना में कहा गया है कि नागरिकता कानून 1955 की धारा 16 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार ने कानून की धारा पांच के तहत यह कदम उठाया है। इसके अंतर्गत उपरोक्त राज्यों और जिलों में रह रहे अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और इसाई लोगों को भारतीय नागरिक के तौर पर पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिया गया है।

❒ **क्या है सीएए-** केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून 2019 में बनाया था। देशभर में इसे लेकर प्रदर्शन हुए थे। इस कानून में तीन पड़ोसी देशों से भारत आए गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। ये देश हैं - बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सरकार का दावा है कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोग इन देशों में अल्पसंख्यक हैं। इन देशों में इनका उत्पीड़न होता है। लिहाजा, भारत में पांच साल पूरा कर चुके इन शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। इससे पहले भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए 11 साल की शर्त थी।

सरकार ने राज्यों को रेमडेसिविर के केंद्रीय आवंटन पर लगाई रोक

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में मांग से अधिक आपूर्ति के बाद केंद्र ने राज्यों को दी जाने वाली एंटी-वायरल दवा रेमडेसिविर के आवंटन पर रोक लगा दी है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने शनिवार को यह जानकारी दी।

REMDESIVIR

मंडाविया ने कहा कि अब देश में पर्याप्त मात्रा में रेमडेसिविर उपलब्ध है क्योंकि मांग की तुलना में आपूर्ति काफी अधिक है। इसलिए, हमने राज्यों को किए जाने वाले रेमडेसिविर के केंद्रीय आवंटन को रोकने का फैसला किया है। उर्वरक एवं रसायन राज्य मंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया कि कोविड-19 के उपचार में उपयोग होने वाली इस दवा की आपूर्ति में खासा सुधार हुआ है, जहां 11 अप्रैल को रेमडेसिविर की प्रतिदिन 33000 शीशी की आपूर्ति थी, वहीं अब यह 10 गुना से अधिक बढ़कर 3,50,000 शीशी प्रतिदिन हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक महीने के भीतर रेमडेसिविर का निर्माण करने वाली इकाइयों की संख्या 20 से बढ़ाकर 60 कर दी। मंडाविया ने यह भी कहा कि सरकार ने आपातकालीन स्टॉक के तौर पर रेमडेसिविर की 50 लाख शीशियां खरीदने का भी फैसला लिया है।

महत्वपूर्ण एवं खास

सीआरपीएफ चीफ कुलदीप सिंह संभालेंगे एनआईए का अतिरिक्त प्रभार

नई दिल्ली (आरएनएस)। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के प्रमुख कुलदीप सिंह को राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। वह सोमवार को सेवानिवृत्त हो रहे वाई सी मोदी का स्थान लेंगे। गृह मंत्रालय ने एक आदेश में यह जानकारी देते हुए कहा कि असम-मेघालय काडर के 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी मोदी सितंबर 2017 में इस संघीय आतंकवाद रोधी जांच एजेंसी के प्रमुख नियुक्त हुए थे। गृह मंत्रालय की ओर से शनिवार को जारी एक आदेश में कहा गया कि एनआईए के महानिदेशक वाई सी मोदी 31 मई, 2021 को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और संबंधित प्राधिकार ने सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह को एनआईए के महानिदेशक पद का अतिरिक्त प्रभार तब तक देने पर मोहर लगा दी है जब तक कि इस पद के लिए किसी की नियुक्ति नहीं हो जाती या इस संबंध में अगला आदेश नहीं आ जाता।

भारत की 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की खुराक देने में लगेगा समय : प्रसाद

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना महामारी के बीच वैक्सीन को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष जहां सरकार पर वैक्सीन सप्लाई रोकने का आरोप लगा रहा है, वहीं इस मामले पर अब सरकार ने भी सफाई दी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि भारत की 135 करोड़ की आबादी को वैक्सीन की खुराक देने में समय लगेगा। अमेरिका के बाद भारत वैक्सीन लगाने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। आने वाले अक्तूबर तक देश में 200 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक उपलब्ध हो जाएगी। उधर पी चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा कि लापता टीके का रहस्य हर दिन गहराता जा रहा है। टीकों के एक बैच के उत्पादन के लिए आवश्यक लीड टाइम के बारे में भारत बायोटेक के बयान ने भ्रम को और बढ़ा दिया है। उन्होंने आगे कहा कि क्षमता एक चीज है और उत्पादन एक अलग चीज है। हम दो घरेलू निर्माताओं द्वारा अब तक उत्पादित वास्तविक मात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। एक बार जब हम वास्तविक उत्पादन को जान लेते हैं, तो हमें बताया जाना चाहिए कि तारीख-वार क्या आपूर्ति की गई है और किसे? इतना ही नहीं पी चिदंबरम ने कहा कि दो घरेलू निर्माताओं की क्षमता, उत्पादन, प्रेषण, आपूर्ति और ग्राहकों की सूची को सीएजी द्वारा संचालित पूर्ण-स्कोप ऑडिट को निर्देशित करना उचित रहेगा। टीकों की कमी पर जनता का गुस्सा सड़कों पर आने से पहले अब लापता टीकों के रहस्य को सुलझाना जरूरी है।

प्राकृतिक डाई रस हमारी आंखों को हानिकारक लेजर विकिरण से बचाने में है सक्षम

नई दिल्ली (आरएनएस)। वैज्ञानिकों ने पाया है कि बीन परिवार के पौधे की पत्तियों से निकाली गई प्राकृतिक नील डाई मानव आंखों को हानिकारक लेजर विकिरण से बचाने में सक्षम है। इसका उपयोग संभावित हानिकारक विकिरण को कमजोर करने और मानव आंखों या अन्य संवेदनशील ऑप्टिकल उपकरणों को ऐसे वातावरण में अचानक क्षति से बचाने के लिए उपयोगी ऑप्टिकल लिमिटर विकसित करने के लिए किया जा सकता है जहां ऐसे लेजर उपयोग में हैं। इंडिगोफेराटिनक्टोरिया या प्रसिद्ध इंडिगो पौधे से निकाली गई नीली डाई का उपयोग वर्षो से कपड़े और कपड़ों की सामग्री को रंगने के लिए किया जाता रहा है। हालांकि, सिंथेटिक इंडिगो डाई अब आम उपयोग के लिए प्राकृतिक किस्म में भी उपलब्ध है। इसे वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पौधे की पत्तियों से निकाला जाता है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट (आरआरआई), बेंगलुरु और केंसरी स्कूल एंड कॉलेज, बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने प्राकृतिक इंडिगो डाई के ऑप्टिकल गुणों का अध्ययन किया और पाया कि यह मानव आंखों को हानिकारक लेजर विकिरण से बचाने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य कर सकता है। भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त पोषित अध्ययन, ऑप्टिकल मैटेरियल्स पत्रिका में प्रकाशित हुआ था।

नो-परमिशन-नो-टेकऑफ़ के अनुरूप ड्रोन संचालन के लिए 166 अतिरिक्त ग्रीन ज़ोन स्थलों की मिली मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एनपीएनटी यानी नो परमिशन-नो-टेकऑफ़ का अनुपालन करने वाले ड्रोन संचालन को मंजूरी दे दी है। सरकार ने यह मंजूरी ड्रोन संचालन को सुविधाजनक बनाने, इसे सुचारू करने और इसके इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए 166 अतिरिक्त ग्रीन जोन स्थलों को दी है। स्वीकृत स्थलों पर ग्राउंड लेवल (एजीएल) से 144 फीट ऊपर ड्रोन के उपयोग की अनुमति है। ये पहले से स्वीकृत 66 ग्रीन जोन्स के अलावा हैं। स्वीकृत ग्रीन ज़ोन स्थलों की सूची को डिजिटल स्काई प्लेटफ़ॉर्म पर देखी जा सकती है। डीजीसीए के अनुसार, एनपीएनटी या नो परमिशन - नो टेक-ऑफ अनुपालन के तहत, प्रत्येक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट (नैनो को छोड़कर) को भारत में संचालन से पहले डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैध अनुमति प्राप्त करनी होती है। इस प्रावधान के तहत उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण करना अनिवार्य है जोकि दूर से संचालित विमान के लिए राष्ट्रीय मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। इन स्वीकृत ग्रीन-ज़ोन में उड़ान भरने के लिए केवल डिजिटल स्काई पोर्टल या ऐप के माध्यम से उड़ानों के समय और स्थान की सूचना देनी जरूरी होती है। ग्रीन ज़ोन स्थलों पर ड्रोन उड़ानें 12 मार्च 2021 से लागू मानव रहित विमान प्रणाली (यूएएस) नियम, 2021 के अनुरूप होंगी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा जारी अन्य प्रासंगिक आदेशों/ दिशानिर्देशों का पालन करेंगी।

राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को 22.77 करोड़ से अधिक टीके कराए उपलब्ध

नई दिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के हिस्से के रूप में, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क कोविड टीका उपलब्ध कराने के जरिये उनकी सहायता करती रही है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए टीकों की प्रत्यक्ष खरीद को भी सुगम बनाती रही है। टीकाकरण टेस्ट, ट्रैक तथा कोविड समुचित व्यवहार के साथ-साथ महामारी के नियंत्रण एवं प्रबंधन के लिए भारत सरकार की व्यापक रणनीति का एक अंतरंग हिस्सा है। कोविड-19 टीकाकरण की उदार और त्वरित चरण-3 रणनीति का कार्यान्वयन 1 मई 2021 से आरंभ हुआ है। इस रणनीति के तहत, प्रत्येक महीने सेंट्रल ड्रग लैबोरेट्री (सीडीएल) द्वारा स्वीकृत टीकों के 50 प्रतिशत की खरीद भारत सरकार द्वारा की जाएगी। यह राज्य सरकारों को इन टीकों को पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराना जारी रखेगी जैसा कि पहले करती रही है। भारत सरकार ने अभी तक, निःशुल्क श्रेणी तथा प्रत्यक्ष राज्य खरीद श्रेणी दोनों के ही जरिये राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को 22.77 करोड़ टीकों से अधिक (22,77,62,450) उपलब्ध कराए हैं। इसमें से, अपव्यय सहित कुल उपभोग 20,80,09,397 टीकों का हुआ (आज सुबह 8 बजे तक उपलब्ध डाटा के अनुसार) है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास लगाये जाने के लिए अभी भी 1.82 करोड़ से अधिक (1,82,21,403) टीके उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त, 4 लाख से अधिक (4,86,180) टीके भेजे जाने की प्रक्रिया में हैं और अगले तीन दिनों के भीतर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्राप्त कर लिये जाएंगे।

देश में कम होने लगे हैं कोरोना मरीज, पिछले 24 घंटे में 1,73,790 लाख नए मामले, 3,460 की मौत

» अभी इलाज करा रहे या एक्टिव मरीजों की संख्या : 22.14 लाख

नई दिल्ली ,29 मई (आरएनएस)। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से कम होने लगी है। मसलन पिछले 24 घंटे में 1,73,790 नए मरीजों के आने के बाद देश में अब तक कारोरा मरीजों की संख्या 2.77 करोड़ से ज्यादा पहुंच गई है। जबकि कोरोना के कारण एक दिन में 3,617 लोगों की मौत के बाद यह आंकड़ा आए 3.22 लाख से ऊपर पहुंच गया है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में आए कोरोना के 1,73,790 नए मामले पिछले 46 दिनों में सबसे कम है। मंत्रालय के के मुताबिक संक्रमण से प्रभावित होने वाले लोगों की कुल संख्या 2,77,29,247 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक रोजाना की संक्रमण दर घटकर 8.36 प्रतिशत पर आ गई है और लगातार पांच दिनों से 10 प्रतिशत से कम दर्ज की जा रही है जबकि संक्रमण की साप्ताहिक दर 9.84 प्रतिशत दर्ज की गई। वहीं पिछले 24 घंटों में 3,617 लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या 3,22,512 पर पहुंच गई है, जिसके बाद संक्रमण से मृत्यु दर 1.16 प्रतिशत आंका गया है।

❒ **महाराष्ट्र में ज्यादा मौतें-** एक दिन में मौत के 3,617 नये मामलों में सर्वाधिक 973 मरीजों की मौत महाराष्ट्र में हुई। इसके बाद तमिलनाडु से 486, कर्नाटक से 401, केरल से 194, पंजाब से 176, उत्तर प्रदेश से 154, पश्चिम बंगाल से 145, दिल्ली से 139 और आंध्र प्रदेश से 103 मरीजों की मौत हुई है। देश में अब तक हुई कुल 3,22,512 मौत में सर्वाधिक 93,198 मौत महाराष्ट्र में हुई हैं। इसके बाद कर्नाटक में 27,806, दिल्ली में 23,951, तमिलनाडु में 22,775, उत्तर प्रदेश में 20,053, पश्चिम बंगाल में 15,120, पंजाब में 14,180 और छत्तीसगढ़ में 12,915 लोगों की मौत हुई है।

❒ **सक्रीय मरीजों की संख्या में कमी-** देश में इलाज करा रहे मरीजों की संख्या भी घटकर 22,28,714 पर आ गई है जो संक्रमण के कुल मामलों का 8.04 प्रतिशत है। जबकि कोविड-19 से स्वस्थ होने की राष्ट्रीय दर सुधरकर 90.80 प्रतिशत हो गई है।

❒ **संक्रमण से मात देने वालों में इजाफा-** आंकड़ों के मुताबिक बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,51,78, 011 हो गई है। जबकि संक्रमण से मृत्यु दर 1.16 प्रतिशत है। रोजाना सामने आने वाले मामलों की तुलना में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या लगातार 16वें दिन ज्यादा रही।

कोरोनाकाल में अनाथ हुए बच्चों को 10 लाख रुपये देगी सरकार

नई दिल्ली (आरएनएस)। कोरोना महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लिए राहत की खबर आई है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा है कि कोरोना के कारण माता-पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत सहायता दी जाएगी। ऐसे बच्चों को 18 साल की उम्र में मासिक वजीफा और 23 साल की उम्र में पीएम केयर्स से 10 लाख रुपये का फंड मिलेगा।

एमओ ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इन बच्चों की निःशुल्क शिक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण प्राप्त करने में सहायता की जाएगी और इस ऋण पर ब्याज का भुगतान पीएम केयर्स फंड से होगा। इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत 18 साल तक के बच्चों को 5 लाख रुपये का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा मिलेगा और प्रीमियम का भुगतान पीएम केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा। वहीं इस घोषणा के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बच्चे देश के भविष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं और हम बच्चों के समर्थन और सुरक्षा के लिए सब कुछ करेंगे। उन्होंने कहा कि एक समाज के रूप में यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों की देखभाल करें और उज्ज्वल भविष्य की आशा जगाएं।

सरकार ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा - प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की

नई दिल्ली (आरएनएस)। शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने आज युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा - प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की। यह युवा और नवोदित लेखकों (30 वर्ष से कम आयु) को प्रशिक्षित करने के लिए एक लेखक परामर्श कार्यक्रम है, जिससे पढ़ने, लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा सके व वैश्विक स्तर पर भारत और भारतीय लेखन को प्रदर्शित किया सके।

युवा (युवा, आगामी और बहुमुखी लेखकों) की शुरुआत युवा लेखकों को भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के बारे में लिखने के लिए प्रोत्साहित करने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप है। 31 जनवरी, 2021 को मन की बात के दौरान, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने युवा पीढ़ी से स्वतंत्रता सेनानियों, स्वतंत्रता से जुड़ी घटनाओं, स्वतंत्रता संग्राम की अवधि के दौरान वीरता की गाथा के बारे में अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में लिखने का आह्वान किया था। उनका कहना था कि यह भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर भारत की स्वतंत्रता के नायकों को सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि के रूप में होगा।

PRADHAN MANTRI
YUVA YOJANA

प्रधानमंत्री ने कहा, यह विचारशील नेताओं की एक श्रेणी भी तैयार करेगा जो भविष्य की दिशा तय करेगा।

युवा, भारतञ्च75 परियोजना (आजादी का अमृत महोत्सव) का एक हिस्सा है। यह योजना विस्मृत नायकों, स्वतंत्रता सेनानियों, अज्ञात और भूले हुए स्थानों और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका और अन्य विषय वस्तुओं पर लेखकों की युवा पीढ़ी के दृष्टिकोण को एक अभिनव व रचनात्मक तरीके से सामने लाने के लिए है। इस प्रकार यह योजना लेखकों की एक धारा विकसित करने में सहायता करेगी जो भारतीय विरासत, संस्कृति और ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए विषयों के अलग-अलग पहलुओं पर लिख सकते हैं।

इसके लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत संरक्षण के सुव्यवस्थित चरणों के तहत इस योजना के चरणबद्ध निष्पादन को सुनिश्चित करेगा। इस योजना के तहत तैयार की गई पुस्तकों का प्रकाशन नेशनल बुक ट्रस्ट, भारत करेगा। इसके अलावा संस्कृति और साहित्य के आदान-प्रदान को सुनिश्चित करने के लिए इनका अन्य भारतीय भाषाओं में भी अनुवाद किया जाएगा, जिससे %एक भारत श्रेष्ठ भारत% को बढ़ावा मिलेगा। वहीं चयनित युवा लेखक विश्व के कुछ बेहतरीन लेखकों के साथ बातचीत करेंगे और साहित्यिक उत्सवों आदि में भाग लेंगे।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 ने युवा दिमागों के सशक्तिकरण और एक सीखने वाला इकोसिस्टम बनाने पर जोर दिया है, जो युवा पाठकों/सीखने वालों को भविष्य की दुनिया में नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए तैयार कर सकता है। इस संदर्भ में, युवा रचनात्मक संसार के भविष्य के नेताओं की नींव रखने में एक लंबा सफर तय करेगा।

❒ **युवा (युवा, आगामी और बहुमुखी लेखकों) की मुख्य विशेषताएं-** 1 जून से 31 जुलाई, 2021 तक https:/ / www.mygov.in/ के माध्यम से आयोजित होने वाली अखिल भारतीय प्रतियोगिता के जरिए कुल 75 लेखकों का चयन किया जाएगा।

विजेताओं की घोषणा 15 अगस्त, 2021 को की जाएगी।

युवा लेखकों को प्रख्यात लेखक/संरक्षक प्रशिक्षित करेंगे।

संरक्षण के तहत, पांडुलिपियों को प्रकाशन के लिए 15 दिसंबर, 2021 तक पढ़ा जाएगा।

प्रकाशित पुस्तकों का विमोचन 12 जनवरी, 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस (युवा दिवस) के अवसर पर किया जाएगा।

संरक्षण योजना के तहत छह महीने की अवधि के लिए प्रत्येक लेखक को 50,000 रुपये प्रति माह की समेकित छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा।